न्यायालय विशेष न्यायालय एस.सी/एस.टी (पी.ए) एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं-7, हरदोई।

सत्र परीक्षण संख्या 161 सन 2003

x राज्य बनाम महेन्द्र सिंह आदि

23.08.2016

निस्तारण प्रार्थनापत्र 93 ब

उपरोक्त प्रार्थनापत्र द्वारा रामनाथ द्विवेदी प्रस्तुत कर यह कहा गया है कि वह इस मुकदमे में अभियोगी है। इस मुकदमे के अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह, राजू सिंह, कर्मवीर सिंह, गजोधर प्रधान, बबलू व रामबिलास ने मिलकर दिनांक 09.05.2002 को समय करीब 3 बजे दिन आवेदक के भाई अमरनाथ तथा मित्र ज्ञानदत्त उर्फ ज्ञानू की हत्या की थी और अवधेश को गंभीर चोटें पहुंचायी गयी थीं किन्तु विवेचक द्वारा सुरेन्द्र सिंह पुत्र महिपाल सिंह व कर्मवीर सिंह पुत्र सुरेश सिंह के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेशित नहीं किया गया और विवेचक ने उन्हें निकाल दिया जबकि दोनों अभियुक्त भी अन्य अभियुक्तों के साथ इस घटना में शामिल थे। आवेदक का साक्ष्य हो चुका है। मुकदमे में नामजद सभी अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता है। न्यायालय में मुकदमे के सह अभियुक्त के साथ विचारण हेतु सुरेन्द्र सिंह पुत्र महिपाल सिंह और कर्मवीर सिंह पुत्र सुरेश सिंह को तलब किया जाए।

सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

धारा 319 द.प्र.सं. के अनुसार अपराध के दोषी अपराधी होने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही-

(1) जहॉ किसी अपराध की जॉच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है वहॉ न्यायालय को उस व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है कार्यवाही करेगा।

(2) जहॉ ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है वहॉ पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार गिरफ्तार या समन किया जा सकेगा।

(3) कोई ऐसा व्यक्ति जो गिरफ्तार या समन किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर नहीं है ऐसे न्यायालय द्वारा उसे अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है जॉच या विचारण के प्रयोजन से निरूद्ध किया जा सकेगा।

(4) जहॉ न्यायालय किसी व्यक्ति के विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करता है तब वहॉ-

(क) उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाही फिर से प्रारम्भ की जाएगी और साक्षियों को फिर से सुना जाएगा।

(ख) खण्ड क के उपबन्धों के अधीन मामले में ऐसे कार्यवाही की जा सकेगी मानो ऐसा व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिसके बाद ही जॉच या विचारण कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी।

सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जा रहा है कि विचारण अथवा कार्यवाही के दौरान

साक्ष्य का क्या अर्थ होता है। इस संदर्भ में संविधान पीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य 2014 (4) सी.सी.एस.सी 2234 (सुप्रीमकोर्ट) द्वारा पारित न्याय निर्णय में यह अवधारित किया गया है कि धर्मपाल के मामले में संविधान पीठ पहले ही यह अवधारित कर चुकी है कि सुपुर्दगी के पश्चात् अपराध का संज्ञान उस व्यक्ति के विरूद्ध लिया जा सकता है जो अभियुक्त के रूप में नामित नहीं है किन्तु जिसके विरूद्ध सामग्री अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् पुलिस द्वारा दाखिल कागजातों से उपलब्ध है। ऐसा संज्ञान द.प्र.सं. की धारा 193 के अधीन लिया जा सकता है। सत्र न्यायालय के अतिरिक्त अभियुक्त को समन करने के लिए द.प्र.सं. की धारा 319 के अधीन साक्ष्य के उपलब्ध होने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

द.प्र.सं. की धारा 319 में महत्वपूर्ण ढंग से दो पदों का प्रयोग किया गया है जिनका संज्ञान लिया जाना है अर्थात् (1) जॉच (2) विचारण। चूंकि विचारण आरोप विरचित करने के पश्चात् प्रारम्भ होता है इसलिए जॉच को केवल पूर्व विचारण जॉच होना ही समझा जा सकता है। द.प्र.सं. की धारा 200, 201 एवं 202 के अधीन और द.प्र.सं. की धारा 398 के अधीन जॉच द.प्र.सं. की धारा 319 द्वारा अनुध्यात जॉच के प्रकार हैं। ऐसी जॉच के अनुक्रम में न्यायालय के समक्ष आने वाली सामग्री का प्रयोग विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात् द.प्र.सं. की धारा 319 के अधीन शतक्ति के प्रयोग के लिए, न्यायालय में अभिलिखित साक्ष्य की सम्पुष्टि के लिए और उस अभियुक्त को उसमें जोड़ने के लिए किया जा सकता है, जिसका नाम आरोपपत्र के स्तम्भ-2 में दर्शित किया गया है।

उपर्युक्त स्थिति की दृष्टि में द.प्र.सं. की धारा 319 में शब्द ''साक्ष्य'' को व्यापक रूप से होना समझना होगा न कि शाब्दिक रूप से, अर्थात् विचारण के दौरान लाए गये साक्ष्य के रूप में।

इस पत्रावली में कुल तीन साक्षी परीक्षित कराए गये हैं। पी.डब्लू-1 के रूप में रामनाथ द्विवेदी, पी.डब्लू-2 के रूप में अवधेश कुमार पुत्र सुन्दरलाल एवं पी.डब्लू-3 के रूप में जयपाल सिंह को परीक्षित कराया गया है। जहॉतक पी.डब्लू-1 रामनाथ द्विवेदी का प्रश्न है तो उसने अपने बयान में घटना का समर्थन किया है। इस संदर्भ में यदि हम पी.डब्लू-2 अवधेश कुमार की मुख्य परीक्षा का यदि अवलोकन करें तो उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि मौके पर कर्मवीर व सुरेन्द्र सिंह उसे दिखायी नहीं पड़े। यहॉ इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि साक्षी पी.डब्लू-2 मृतक ज्ञानदत्त उर्फ ज्ञानू का सगा भाई है। यदि घटना में कर्मवीर व सुरेन्द्र शामिल रहते तो यह गवाह अपने मृतक भाई के हित में निश्चित रूप से उनके विरूद्ध साक्ष्य देता लेकिन इसने ऐसा नहीं किया है और यह कहा है कि अभियुक्त कर्मवीर व सुरेन्द्र घटना में शामिल नहीं थे।

पी.डब्लू-3 के रूप में जयपाल को परीक्षित कराया गया है। इसने अपने बयान के पेज-4 पर यह कहा है कि गवाह अवधेश मृतक ज्ञानदत्त का सगा भाई है। चोटहिल अवधेश, रामनाथ की सगी बुआ के लड़के हैं। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि तथाकथित घटना में दो व्यक्ति मारे गये थे और एक व्यक्ति अवधेश जो घायल अवस्था में था वह मौके से भाग गया था। यहॉ इस बात का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि पुलिस ने अवधेश का कोई बयान नहीं लिया और

माननीय उच्च न्यायालय ने अवधेश को परीक्षित कराने से मना कर दिया और यह अवधारित किया कि यदि न्यायालय उचित समझे तो अवधेश को न्यायालय साक्षी के रूप में तलब कर सकती है और उनका बयान अंकित करा सकती है। यदि घायल अवधेश को परीक्षित कराया गया होता तो वह सारी बातें सत्य बताता लेकिन इसे परीक्षित नहीं कराया गया है। यहॉ इस बात का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि पी.डब्लू-2 अवधेश जो मृतक ज्ञानदत्त का सगा भाई है, उसने प्रस्तावित अभियुक्तगण का नाम अपनी मुख्य परीक्षा में नहीं लिया है।

पी.डब्लू-3 जयपाल सिंह का प्रश्न है उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि पहले महेन्द्र सिंह के भाई सुरेन्द्र सिंह की फायर की चोट लगी थी जिसकी रिपोर्ट सुरेन्द्र सिंह ने उसके व इस घटना के वादी रामनाथ द्विवेदी व चोटहिल अवधेश पुत्र प्रभूदयाल के विरूद्ध लिखायी थी जिसमें कर्मवीर सिंह के भाई सत्यवीर सिंह हम लोगों के खिलाफ गवाह थे। इस प्रकार इस बयान से यह लग रहा है कि पी.डब्लू-3 एक निष्पक्ष साक्षी नहीं है वह हितबद्ध साक्षी है।

न्याय निर्णय प्रहलाद बनाम स्टेट आफ राजस्थान 2008 (2) जे.आई.सी. 426 सुप्रीमकोर्ट में यह अवधारित किया गया है कि धारा 319 द.प्र.सं. उसी सूरत में लागू होगा जबकि न्यायालय को विचारण के दौरान यह लगे कि उसका विचारण अन्य अभियुक्तगण के साथ होना चाहिए और यह भी लगे कि उसने कोई अपराधकारित किया है। न्याय निर्णय राजकिशोर बनाम स्टेट आफ बिहार एवं अन्य जे.टी. 1996(5) सुप्रीमकोर्ट में यह अवधारित किया कि पत्रावली पर उसके विरूद्ध प्रथम दृश्टया साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय निर्णय म्यूनिस्पिल कार्पोरेशन दिल्ली बनाम रामकिशन रोहतगी एवं अन्य 1983 (20)ए.सी.सी. 50 सुप्रीमकोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि नये मुल्जिम को तलब करने के पहले न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि उसने अपराध किया है और उसे प्रथम दृश्टया सजा हो सकती है। न्याय निर्णय सरबजीत सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब एवं अन्य 2009 (3) जे.आई.सी 522 सुप्रीमकोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि नये अभियुक्त को तभी तलब किया जा सकता है जबकि साक्ष्य की प्रकृति इस प्रकार की हो जो कि न्यायालय को अपना असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग करने के लिए अधिकृत करती हो। न्याय निर्णय बृन्दावन दास एवं अन्य बनाम स्टेट आफ वेस्ट बंगाल 2009 (1) जे.आई.सी486 सुप्रीमकोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि नये अभियुक्त को तलब करने के पहले यह देखना आवश्यक है कि साक्ष्य किस तरह का है जो उसे सजा देने के लिए संभव हो। न्याय निर्णय माइकल मुचाओ एवं अन्य बनाम सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन एवं अन्य 2000 (2) जे.आई.सी. 5 (सुप्रीमकोर्ट) में यह अवधारित किया गया है कि जिस व्यक्ति को तलब किया जा रहा है उसके विरूद्ध साक्ष्य इस तरह का हो जिससे युक्तियुक्त निष्कर्ष निकलता हो कि उस साक्ष्य से उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। एक अन्य न्याय निर्णय क्रिश्नप्पा बनाम स्टेट आफ कर्नाटक 2005 (1) जे.आई.सी 107 (सुप्रीमकोर्ट) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि तलबशुदा व्यक्ति के विरूद्ध इस तरह का साक्ष्य नहीं होना चाहिए जो उसकी सजा के लिए रिमोट हो।

उपरोक्त विवेचन से मैं इस मत का हूं कि अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह व कर्मवीर सिंह को इस सत्र परीक्षण में परीक्षण के लिए तलब किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा।

आदेश

प्रार्थनापत्र 93 ब खारिज किया जाता है। पत्रावली दिनांक 06.09.2016 को वास्ते साक्ष्य पेश हो।

(कृष्ण कुमार सिंह)
विशेष न्यायालय एस.सी/एस.टी (पी.ए) एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं-7,
हरदोई।

दिनांक 23.08.2016